रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 3, 1986/ज्येष्ठ 13, 1908
No. 18] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 1986/JYAISTHA 13, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, 3 जून, 1986

अधिसूचना

सं.ए. 12026/2/86-प्रशा. 4(वि.का.) केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973(1973 का 46)की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. के.पी. सरोजनी को जो विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग में अधिष्ठायी अपर विधि सलाहकार(भारतीय विधि सेवा का ग्रेड 2) और जो वर्तमान में संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड 1) के रूप में काम कर रही है,

तारीख 2 जून, 1986 के अपराह्न से लेकर आगे आदेश होने तक विदेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

नरेन्द्र कुमार सेठ, निदेशक

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 3rd June, 1986

NOTIFICATION

No. A-12026|2|86-Adm.IV(LA).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 52 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973), the Central Government hereby appoints Kumari K. P. Sarojini, a substantive Additional Legal Adviser (Gr. II of Indian Legal Service), and presently working as Joint Secretary & Legal Adviser (Gr. I of Indian Legal Service), in the Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, as full-time Member Foreign Exchange Regulations Appellate Board, New Delhi with effect from the afternoon of 2nd June, 1986 and until further orders.

N. K. SETH, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986